परिपत्र संख्या-स0द0/ /कम्प्यूटर परि0सं0 1684 / 1920072 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 28 नवम्बर, 2019

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0),

असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचलदल),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः सचलदल इकाइयों द्वारा परिवहन के दौरान रोके गए माल एवं वाहन के सम्बन्ध में पारित आदेशों के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दाखिल रिट याचिकाओं सम्बन्धी विवरण विभागीय एम0एम0एस0 माड्यूल पर किए जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात प्रदेश में कार्यरत सचलदल इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-68 एवं तत्सम्बन्धी नियम-138 के प्रावधानों के क्रम में किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम अथवा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल का परिवहन करते पाए जाने पर धारा-129 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अन्तर्गत पारित आदेशों से क्षुब्ध होकर क्रेता या विक्रेता या ट्रांसपोर्टर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिकाएं योजित की गईं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन में तत्समय ही माल एवं वाहन अवमुक्त कर दिए गए। कालांतर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं को निष्फल मानते हुए निस्तारित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार निस्तारित अथवा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लम्बित मामलों की मानीटरिंग हेतु एम0एस0 इंट्री माड्यूल में एक नया लिंक H.C Writ Status विकसित किया गया है। प्रत्येक सचलदल इकाई द्वारा ऐसे सभी मामलों जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट योजित की गई थी उससे सम्बन्धित वांछित प्रविष्टियां इस मेन्यू में की जाएंगी।

जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात दिनांक 15-11-2019 तक सचलदल इकाइयों द्वारा रोके गए माल एवं वाहन के सम्बन्ध में दाखिल प्रत्येक रिट सम्बन्धी वांछित विवरण की प्रविष्टि एम0एस0 माड्यूल के उक्त मेन्यू में दिनांक 10-12-2019 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।